

(2)

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11
जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत
काउण्टर वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी
हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे
सुनाया गया। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

31/5/19

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, सिकरगंज